कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रमांक/एफ–936/1/सा.प्र.वि/विविध/19/1677 भिलाई, दिनांक 29.11.19

आदेश

अवर सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/10525/4319/2017/18 दिनांक 13.11.2019 एवं पत्र दिनांक 05.12.2018 के द्वारा समयपाल/कार्य सहायक को हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण के साथ ट्रेसर का डिप्लोमा होने पर ही 10 वर्ष के कार्यानुभव के आधार पर उप अभियंता के पद पर पदोन्नति किये जाने का प्रावधान होने का उल्लेख करते हुए श्री विष्णु प्रसाद चन्द्राकर, समयपाल/कार्य सहायक ग्रेड–02 को बिना ट्रेसर डिप्लोमा के उप अभियंता के पद पर दी गई पदोन्नति को भर्ती नियम के विपरीत होने के कारण उनकी उप अभियंता के पद पर दी गई गलत पदोन्नति आदेश को निरस्त करने निर्देशित किया गया है।

अतः छ.ग. शासन के उपरोक्त आदेश के परिपालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/एफ–936/1/सा.प्र.वि./विविध/18/3054 दिनांक 17.12.2018 के द्वारा श्री विष्णु प्रसाद चन्द्राकर, समयपाल/कार्य सहायक ग्रेड–02 वेतनमान मैट्रिक्स लेवल–4 (19500–62000) को उप अभियंता पद पर वेतनमान मैट्रिक्स लेवल–8 (35400–112400) के पद पर दी गई पदोन्नति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

ऋतुराज रघुवंशी
(आई.ए.एस)
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ–936 /1/सा.प्र.वि/विविध/19/1678 भिलाई, दिनांक 29.11.19

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर को सूचनार्थ।
2. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ ।
3. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता, जलकार्य/परियोजना नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ ।
5. उपायुक्त–01 एवं 02 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ ।
6. कार्यपालन अभियंता वाहन शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ ।
7. लेखाधिकारी/ जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ ।

क्रमशः....